



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण 1939 (श0)
(सं0 पटना 1093) पटना, बुधवार, 22 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

शुद्धि-पत्र

22 नवम्बर 2017

एस०ओ० 298, दिनांक 22 नवम्बर 2017—बिहार गजट (असाधारण अंक) में संख्या 874 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 167, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 में,—

पंक्ति 6 में "पैरा 5" के स्थान पर "पैरा 3.20 और 3.21" पढ़ें।

[(सं0सं0-ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-1)-4192)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

22 नवम्बर 2017

एस०ओ० 299, एस०ओ० 298, दिनांक 22 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0-ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-1)-4192)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 22nd November 2017

S.O. 298 dated the 22nd November 2017—In the S.O. 167, dated 21st September, 2017 of Commercial Taxes Department, Government of Bihar, published in the Gazette of Bihar, Extraordinary, vide no. 874 dated 21st September, 2017, -

In line 6, for "paragraph 5" read "paragraphs 3.20 and 3.21".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-1)—4192)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1093-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>